

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-02/स्था.(प्रतिनियुक्ति)-13-01/2018-----/रॉची, दिनांक -----/

—: आदेश :—

श्री मनोज कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर का विभागीय अधिसूचना सं.-424 दिनांक 22.01.2013 द्वारा निर्गत प्रतिनियुक्ति आदेश को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे पूर्ण रूप से अपने मूल पद का प्रभार ग्रहण करें।

ह. /—

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

1102

रॉची, दिनांक :-

12-02-18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, रॉची/ मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, रॉची/ मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर/ कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ श्री मनोज कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.2.18

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।